रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1222] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ज्येष्ठ 16, 1936
No. 1222] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/JYAISHTHA 16, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2014

का. आ. 1469 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 144 तारीख 18 जनवरी, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 19 जनवरी, 2013, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप (उड़ीसा) से दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) तक वाया हल्दिया एलपीजी परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 18 अक्तूबर, 2013, तक उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी ।

अनुसूची

पुलिस स्टेशन : पाँचला	जिला : हावड़ा	राज्य : पश्चिम बंगाल

क्रम सं.	मौजा का नाम	खसरा सं. (आर.एस.)	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	बेलडूबि – 30	189	00	01	50
		192	00	00	20
		191	00	06	00
		1213	00	06	90
		183	00	02	20
		182 / 1163	00	02	90
		184	00	00	20
		278	00	02	40
		279	00	03	90
		181	00	02	00
		280	00	00	60
		178	00	01	70
		294	00	04	00
		301	00	05	40
		300 / 1222	00	04	60
		300	00	02	70
		298	00	02	90
		299	00	03	00
		311	00	06	00
		312	00	01	30
		313	00	01	50
		314 / 1223	00	03	70
		315	00	00	80
		635	00	00	20
		316	00	03	60
		317	00	03	60
		631 / 1229	00	01	70
		631	00	01	50
		632	00	03	60
		628	00	07	10
		916	00	02	90
		917	00	00	50
		918	00	02	90
		612	00	03	40
		611	00	02	40
		608	00	03	10
		607	00	03	20
		606	00	00	20
		363	00	00	20
		364	00	14	50
		378	00	07	60
		369	00	00	60
		377	00	04	70
		370	00	00	40
		374	00	08	60
		376	00	01	30
		1167	00	01	70
		446	00	10	50
		447	00	00	90

1	बेलडूबि – 30 (जारी....)	448	00	00	40
		488	00	03	60
		491	00	01	50
		490	00	00	20
		449	00	00	40

[फा. सं. आर.–25011/12/2012–ओ.आर– ।]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2014

S.O. 1469(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 144 dated the 18th January, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 19th January, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Liquefied Petroleum Gas from Paradip (Odisha) to Durgapur (West Bengal) Via Haldia by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 18.10.2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

P S: Panchala **District : Howrah** **State : West Bengal**

Sl. No.	Name of the Mouza	Khasra No. (R.S.)	Area		
			Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6
1	Beldubi - 30	189	00	01	50
		192	00	00	20
		191	00	06	00
		1213	00	06	90
		183	00	02	20
		182/1163	00	02	90
		184	00	00	20
		278	00	02	40
		279	00	03	90

1	Beldubi - 30 (Contd…)	181	00	02	00
		280	00	00	60
		178	00	01	70
		294	00	04	00
		301	00	05	40
		300/1222	00	04	60
		300	00	02	70
		298	00	02	90
		299	00	03	00
		311	00	06	00
		312	00	01	30
		313	00	01	50
		314/1223	00	03	70
		315	00	00	80
		635	00	00	20
		316	00	03	60
		317	00	03	60
		631/1229	00	01	70
		631	00	01	50
		632	00	03	60
		628	00	07	10
		916	00	02	90
		917	00	00	50
		918	00	02	90
		612	00	03	40
		611	00	02	40
		608	00	03	10
		607	00	03	20
		606	00	00	20
		363	00	00	20
		364	00	14	50
		378	00	07	60
		369	00	00	60
		377	00	04	70
		370	00	00	40
		374	00	08	60
		376	00	01	30
		1167	00	01	70
		446	00	10	50
		447	00	00	90
		448	00	00	40
		488	00	03	60
		491	00	01	50
		490	00	00	20
		449	00	00	40

[F. No. R- 25011 /12/ 2012- OR-I]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.